

संख्या: शिक्षा-(प्रार0)एच(1)बी(6)-15/88(जनरल)
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश लालपानी, शिमला-1.
दिनांक शिमला-171001

अक्तूबर,

2022.

सेवा में,

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
शिक्षा चम्बा/कांगड़ा/कुल्लू/ऊना
हिमाचल प्रदेश शिमला-171001.

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
27 OCT 2022

विषय:-

Filling up vacant posts of Class-IV employees on compassionate grounds.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालयों द्वारा विभिन्न पत्र अनुसार निम्नलिखित आवेदकों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु भेजे गए विकल्प पत्र बारे एवं आवेदक श्री गौरव ठाकुर की ओर से प्राप्त विकल्प पत्र के बारे विवरण निम्न है:-

क्रम सं०	आवेदक/दिवंगत कर्मचारी का नाम	अस्वीकृत हुए मामले की तिथि
1.	श्री वरुण कुमार सपुत्र स्व० श्री लेख राज (श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी स्व० श्री लेख राज) टी०जी०टी० (कांगड़ा)	20-10-2008 29-04-2019
2.	श्री आदित्य कुमार सपुत्र स्व० श्री कर्म चन्द (कुल्लू)	13-07-2021
3.	श्री पदम ठाकुर सपुत्र स्व० श्री तावे राम (कुल्लू)	19-07-2013 02-05-2019
4.	श्री सचिन कुमार सपुत्र स्व० श्री पवन कुमार, जे०बी०टी० (ऊना)	01-10-2012
5.	श्री गौरव ठाकुर सपुत्र स्व० श्री हेम राज, जे०बी०टी० (चम्बा)	13-07-2021

उपरोक्त के दृष्टिगत आपका ध्यान सरकार द्वारा जारी ज्ञापन संख्या: Fin-F(A)-(16)-1/2013 दिनांक 24-01-2022 की ओर आकर्षित किया जाता है कि सरकार द्वारा पात्र अभ्यर्थी को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु छूट का प्रावधान रखा है एवं तृतीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी में पद बदलने हेतु प्रावधान रखा है तो आपके द्वारा पहले ही अस्वीकृत हो चुके मामलों में किन नियमों के आधार पर विकल्प पत्र भेजे हैं।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि सरकार द्वारा दिनांक 24-01-2022 को जारी ज्ञापन अनुसार ही विकल्प पत्रों पर एवं आवेदक श्री गौरव ठाकुर से प्राप्त विकल्प पत्र (प्रति संलग्न) पर कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा कृत कार्यवाही से इस निदेशालय को भी अवगत करवाया जाये।

(डॉ. भुवन शर्मा)

संयुक्त निदेशक (प्रशा०)
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

पृष्ठांकन संख्या:
प्रतिलिपि:-

सम

शिमला-171001,

दिनांक

अक्तूबर,

2022.

- समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हि०प्र० के कार्यालयों को इस कथन के साथ प्रेषित है कि यदि आपके द्वारा उक्त जारी ज्ञापन दिनांक 24-01-2022 के अनुसार किसी अस्वीकृत हुए मामलों में विकल्प पत्र लिए हैं तो तदनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाये।
- रक्षक नस्ति।

संयुक्त निदेशक (प्रशा०)
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय


पृष्ठांकन संख्या शिक्षा-कांगडा(ई0-5)प्रार0 Comp.Ground / 2022 / - 7919
कार्यालय

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
कांगडा स्थित धर्मशाला ।

दिनांक धर्मशाला-176215/19, नवम्बर, 2022

प्रतिलिपि:-

- (1) समस्त प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक / रा0व0मा0पा0 / रा0उ0पा0 जिला कांगडा (हि0प्र0)
- (2) समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी जिला कांगडा (हि0प्र0) को इस कथन के साथ भेजा जाता है कि शिक्षा निदेशालय प्रारम्भिक हिमाचल प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देशों की तदनुसार अनुपालना की जाए तथा करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के मामलों को पूर्ण निरीक्षण के उपरान्त ही इस कार्यालय को भेजा जाए ।


उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
कांगडा स्थित धर्मशाला